20/6/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम बिहारीपुर स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 234, 239, 242, 243 व 244 की खातेदारी में प्रार्थी के दादा का नाम नारायाण सिंह गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी के दादा का सही नाम श्यामसिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार के दादा का नाम नारायण सिंह गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रार्थी के दादा की खातेदारी की अन्य भूमि खसरा नंबर 195, 197, 198, 200, 201 की जमाबंदी संबंधी दस्तावेज आदि की प्रतियां पेश की जिनमें प्रार्थी के पिता का सही नाम श्यामसिंह दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाहान भादर राम गुर्जर पुत्र मांगुराम जाति गुर्जर निवासी बिहारीपुर व बनवारीलाल पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी किशनाला की तन बिहारीपुर का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थी के पिता के सही नाम की पुष्टि पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रार्थी के दादा की खातेदारी की अन्य भूमि खसरा नंबर 195, 197, 198, 200, 201 की जमाबंदी संबंधी दस्तावेज तथा गवाहान भादर राम गुर्जर पुत्र मांगुराम जाति गुर्जर निवासी बिहारीपुर व बनवारीलाल पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी किशनाला की तन बिहारीपुर का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner